

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2017—आषाढ़ 30, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक एफ ए -3 -32/2017/1/पांच (12) राज्य सरकार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 रान् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, यह अधिसूचित करती है कि राज्य कर, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति पर, जो स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा वर्गीकरण स्कीम के अध्याय, खंड या शीर्ष के अंतर्गत आती है, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट दर पर उद्घीत किया जाएगा,—

सारणी

| क्र.सं. | अध्याय, खंड<br>या शीर्ष | सेवा वर्णन       | दर<br>(प्रतिशत) | शर्त |
|---------|-------------------------|------------------|-----------------|------|
| (1)     | (2)                     | (3)              | (4)             | (5)  |
| 1       | अध्याय 99               | सभी सेवाएं       |                 |      |
| 2       | खंड 5                   | संनिर्माण सेवाएं |                 |      |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | शीर्ष 9954<br>(संनिर्माण<br>सेवाएं)               | (i) परिक्षेत्र, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पूर्णतः या भागतः क्रेता को विक्रय के लिए आशयित परिक्षेत्र या भवन भी है, सिवाय वहां के, जहां अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् या उसके प्रथम अधिभाग के पश्चात्, जो भी पहले हो, संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है।<br><br>(इस सेवा के मूल्यांकन के लिए कृपया इस अधिसूचना के पैरा 2 का निर्देश करें) | 9 | - |
|   |   | (ii) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड 119 में यथा परिभाषित संकर्म संविदा का संयुक्त प्रदाय  | 9 | - |
|   |   | (iii) उपरोक्त (i) और (ii) से भिन्न संनिर्माण सेवाएं   | 9 | - |
| 4 | खंड 6   | वितरणात्मक व्यापार सेवाएं ; आवास, खाद्य और सुपेय सेवा ; परिवहन सेवा ; गैस और विद्युत वितरण सेवाएं   |   |   |
| 5 | शीर्ष 9961  | संपूर्ण विक्रय व्यापार में सेवाएं ।<br>स्पष्टीकरण--इस सेवा के अंतर्गत--<br>- कमीशन अभिकर्ताओं, जिन्स दलालों और नीलामीकर्ताओं तथा अन्य सभी ऐसे व्यापारियों की सेवाएं, जो किसी फीस या कमीशन के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच थोक वाणिज्यिक संव्यवहारों का मोल भाव करते हैं ;<br>- इलेक्ट्रॉनिक थोक अभिकर्ताओं और दलालों की सेवाओं ;<br>- थोक नीलामीकर्ता गृहों की सेवाएं  | 9 | - |
| 6 | शीर्ष 9962  | फुटकर व्यापार में सेवाएं ।<br>स्पष्टीकरण--इस सेवा के अंतर्गत माल का क्रय या विक्रय नहीं आता है ।  | 9 | - |
| 7 | शीर्ष 9963<br>(आवास, खाद्य<br>और सुपेय<br>सेवाएं) | (i) ऐसे माल का प्रदाय, जो खाद्य है या मानवीय उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, वह जो भी हो, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा, वर्ष के दौरान किसी भी समय, स्थापन के किसी भाग में वातानुकूलन या केंद्रीय वायु  | 6 | - |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>तापन की सुविधा न रखने वाले और जिनके पास मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहालिक लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, नहीं है, से भिन्न किसी रेस्त्रां, संयुक्त खानपान या भोजनालय द्वारा दिए गए नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है ।</p>  |   |  |
|  | <p>(ii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें एक हजार रुपए और उरारो अधिक के आवास की यूनिट किन्तु दो हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो ।</p> <p>स्पष्टीकरण : "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।</p> | 6 |  |
|  | <p>(iii) ऐसे माल के, जो खाद्य है या मानवीय उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, वह जो भी हो, प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा, जिनके पास मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहालिक लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, रखने वाले किसी रेस्त्रां,</p>   | 9 |  |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | संयुक्त खानपान या भोजनालय द्वारा दिए गए नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है।   |   |   |
|  |  | (iv) ऐसे माल के, जो खाद्य है या मानवीय उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, वह जो भी हो, प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा, वर्ष के दौरान किसी समय स्थापन के किसी भाग में वातानुकूलन या केंद्रीय वायुतापन की सुविधा रखने वाले और किसी रेस्त्रां, संयुक्त खानपान या भोजनालय द्वारा दिए गए नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है। | 9 | - |
|  |  | (v) बाह्य खानपान में किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, वह जो भी हो, प्रदाय, जिनमें माल, ऐसे बाह्य खानपान के भाग के रूप में खाद्य या मानवीय उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर है या नहीं) और ऐसा प्रदाय या सेवा या नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है।  | 9 | - |
|  |  | (vi) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सराओं, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें दो हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु सात हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो।<br>स्पष्टीकरण : "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत  | 9 | - |

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
|  | <p>आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।</p>  |    |  |
|  | <p>(vii) ऐसे माल की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, वह जो भी हो, किन्तु जो खाद्य मानवीय उपभोग की किसी अन्य वस्तु या किसी सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर है या नहीं) तक सीमित नहीं है, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा परिसरों (जिनमें होटल, सम्मेलन केंद्र, क्लब, पंडाल, शामियाना या कोई अन्य स्थान, जिनकी विशेष रूप से समारोह आयोजित करने के लिए व्यवस्था की जाती है), में ऐसे परिसरों के किराए पर देने के साथ-साथ नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है ।</p> | 9  |  |
|  | <p>(viii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, जिनके अंतर्गत पांच सितारा होटल भी हैं, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों, या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें सात हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य के आवास यूनिट की टैरिफ घोषित किया हो ।<br/>स्पष्टीकरण : "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर,</p>  | 14 |  |

|   |                                      |  |              |   |
|---|--------------------------------------|--|--------------|---|
|   |                                      | वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर. या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।  |              |   |
| 8 | शीर्ष 9964<br>(यात्री परिवहन सेवाएं) | (ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं ।<br><br>(i) प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच में रेल द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।   | 9<br><br>2.5 | <br><br>बशर्त सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल के संबंध में प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है ।(कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें) |
|   |                                      | (ii) निम्नलिखित के द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन-<br>(क) मोटर कैब से भिन्न वातानुकूलित संविदा गाड़ी ;<br>(ख) वातानुकूलित मंजिली गाड़ी ;<br>(ग) रेडियो टैक्सी ;<br>स्पष्टीकरण :<br>(क) संविदा गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है ।<br>(ख) मंजिली गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है ।<br>(ग) "रेडियो टैक्सी" से ऐसी टैक्सी, जिसके | 2.5          | बशर्त माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ।<br>(कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)   |

|  |  |  |     |   |
|--|--|--|-----|---|
|  |  | अंतर्गत कोई रेडियो कैब भी है, चाहे वह किसी भी काम से जात हो, अभिप्रेत है, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ द्विआर्गी रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) या साधारण पैकेट रेडियो सेवा (जीपीआरएस) का प्रयोग करते हुए ट्रेकिंग के लिए समर्थ है। |     |   |
|  |  | (iii) इकोनोमी श्रेणी में वायुयान द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन  | 2.5 | बशर्त माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें) |
|  |  | (iv) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम विमानपत्तन से यात्रा प्रारंभ करते या वहां समाप्त करते हुए, सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन।   | 2.5 | बशर्त माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)     |
|  |  | (v) इकोनोमी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन।  | 6   |   |
|  |  | (vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन।  | 2.5 | बशर्त माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण                 |

|   |                                |   |     |  |
|---|--------------------------------|---|-----|--|
|   |                                |   |     | सं. (iv) का निर्देश करें)  |
|   |                                | (vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं ।   | 9   | -  |
| 9 | शीर्ष 9965 (माल परिवहन सेवाएं) | (i) रेल द्वारा माल का परिवहन (इस शीर्ष के अधीन नीचे क्र.सं. (iv) पर विनिर्दिष्ट सेवा से भिन्न)  | 2.5 | बशर्त सेवा की पूर्ति करने में माल की बाबत प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है ।   |
|   |                                | (ii) जलयान में माल का परिवहन  | 2.5 | बशर्त सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल (पोतों, जलयानों, जिनके अंतर्गत माल जहाज और टैंकर भी हैं, पर से भिन्न) पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें) |
|   |                                | (iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की सेवाएं ।<br>स्पष्टीकरण : "माल परिवहन अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे | 2.5 | बशर्त माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश   |



|    |  |   |     |  |
|----|--|---|-----|--|
|    |  | वह किसी भी नाम से जात हो, जारी करता है ।  |     | करें)  |
|    |  | (iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों में माल का परिवहन ।  | 6   | -  |
|    |  | (v) उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं ।   | 9   | -  |
| 10 | शीर्ष 9966<br>(परिवहन यानों की भाटक सेवा)    | (i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना ।   | 2.5 | बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ।<br>(कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें) |
|    |  | (iii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न प्रचालकों के साथ या उनके बिना परिवहन यानों के भाटक सेवा  | 9   | -  |
| 11 | शीर्ष 9967<br>(परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं) | (i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है ।<br>स्पष्टीकरण- "माल परिवहन अधिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और पारेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से जात हो, जारी करता है । | 2.5 | बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)                           |
|    |  | (iii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं   | 9   | -  |
| 12 | शीर्ष 9968                                   | डाक और कुरियर सेवाएं  | 9   | -  |
| 13 | शीर्ष 9969                                   | विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं   | 9   | -  |
| 14 | खंड 7  | वित्तीय और संबंधित सेवाएं; भू-संपदा सेवाएं और भाटक तथा पट्टा सेवाएं   |     |  |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 15 | शीर्ष 9971<br>(वित्तीय और संबंधित सेवाएं) | <p>(i) किसी चिट के संबंध में चिटफंड के फोरमैन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं स्पष्टीकरण-</p> <p>1. "चिट" से संव्यवहार अभिप्रेत है, चाहे चिट, चिटफंड, चिट्टी, कुरी के नाम से ज्ञात हो या किसी भी नाम से ज्ञात हो या जिसके अधीन व्यक्ति विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों के साथ करार करता है कि उनमें से प्रत्येक निश्चित अवधि में आवधिक किस्तों के माध्यम से कतिपय धनराशि का अभिदाय करेगा (या उसके स्थान पर निश्चित मात्रा में अनाज) और प्रत्येक अभिदाता उसकी बारी में जिसका लाटरी द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या ऐसी रीति में जो चिट करार में विनिर्दिष्ट की जाए, इनामी रकम का हकदार होगा।</p> <p>2. "चिटफंड का फोरमैन" का वही अर्थ होगा जो चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 2 के खंड (ज) में "फोरमैन" पद का है।</p> | 6 | बशर्त सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें) |
|    |   | <p>(ii) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना।</p> <p>स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,-</p> <p>(क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से</p>   |   |  |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    |  | <p>किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है;</p> <p>(ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।</p> |  |   |
|    |  | (iii) पूर्वोक्त (i) और (ii) से भिन्न वित्तीय और संबंधित सेवाएं  | 9  | - |
| 16 | शीर्ष 9972   | भू-संपदा सेवाएं   | 9  |   |
| 17 | शीर्ष 9973<br>(प्रचालक सहित या उसके बिना पट्टा या भाटक सेवाएं) | (i) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना   | 6  | - |
|    |  | (ii) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना  | 9  |   |
|    |  | (iii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण।  | केंद्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है |   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।  |  |
|  |  | (iv) माल में किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण   | केंद्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है। |  |
|  |  | (v) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना।<br>स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,-<br>(क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है;<br>(ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं | 2.5  | बशर्त सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें) |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   | <p>जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती है, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है;</p> <p>(ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।</p> |  |   |
|    |   | (vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न प्रचालक सहित या उसके बिना पट्टा या भाटक सेवाएं  | केंद्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है। |   |
| 18 | खंड 8   | कारबार और उत्पादन सेवाएं  |  |   |
| 19 | शीर्ष 9981  | अनुसंधान और विकास सेवाएं  | 9  | - |
| 20 | शीर्ष 9982  | विधिक और लेखांकन सेवाएं   | 9  | - |
| 21 | शीर्ष 9983<br>(अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं) | (i) प्रिन्ट मीडिया के लिए विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय   | 2.5  | - |
|    |   | (ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं   |  |   |
| 22 | शीर्ष 9984  | दूरसंचार, प्रसारण और सूचना पूर्ति सेवाएं  | 9  | - |

|    |                                   |   |          |  |
|----|-----------------------------------|---|----------|--|
| 23 | शीर्ष 9985<br>(समर्थनकारी सेवाएं) | (i) दूर प्रचालक सेवाओं की पूर्ति स्पष्टीकरण- "दूर प्रचालक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो दूरों की योजना बनाए, उनकी शेड्यूलिंग, आयोजन, प्रबंध करने (जिसके अंतर्गत आवास, दर्शनीय स्थल या अन्य वैसी ही सेवाएं हो सकेंगी) के कारबार में परिवहन के किसी ढंग द्वारा लगा हुआ है और जिसके अंतर्गत दूरों के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति है | 2.5      | 1. बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।<br>(कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)<br>2. इस सेवा की पूर्ति के लिए जारी किया गया बीजक यह उपदर्शित करता है कि इसमें ऐसे किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार सम्मिलित हैं और बीजक में प्रभारित रकम ऐसी किसी यात्रा के लिए प्रभारित सकल रकम है, जिसके अंतर्गत ऐसी किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार भी हैं । |
|    |                                   | (ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न समर्थनकारी सेवाएं   | 9        | -  |
| 24 | शीर्ष 9986                        | (i) कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाएं<br>स्पष्टीकरण - "कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाओं" से निम्नलिखित   | कुछ नहीं | -  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>अभिप्रेत है:-</p> <p>(i) निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाईबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पादों या कृषि उत्पादों के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालन पोषण के सिवाय पालन पोषण से संबंधित सेवाएं -</p> <p>(क) किसी कृषि उत्पाद , जिसके अंतर्गत खेती, फसलें लगाना शेसिंग, पौधा संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन ;</p> <p>(ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना;</p> <p>(ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौधों की देखभाल करना, छटाई, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विपणनीय बनाते हैं;</p> <p>(घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए या पट्टे पर देना;</p> <p>(ङ.) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागारण ;</p> <p>(च) कृषि विस्तारण सेवाएं ;</p> <p>(छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं;</p> <p>(ii) फलों और सब्जियों के पूर्व अनुकूलन, पूर्व प्रशीतन, पकाने, मोम का लेप चढाने,</p> |  |
|--|--|--|

|    |   |  |     |   |
|----|---|--|-----|---|
|    |   | <p>खुदरा पैकिंग, लेबल लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, जो उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुणधर्मों में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं करती हैं।</p> <p>(iii) पादपों की बुआई और अर्थों के पालन पोषण के सिवाय पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन पोषण जैसे खाद्य, रेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य सामान, उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जांब बर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना।</p>   |     |   |
|    |   | (ii) खनन, विद्युत, गैस और जल वितरण के लिए समर्थनकारी सेवाएं  | 9   | - |
| 25 | शीर्ष 9987  | अनुरक्षण, मरम्मत और प्रतिस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं   | 9   | - |
| 26 | शीर्ष 9988<br>(अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं) | <p>(i) निम्नलिखित के संबंध में जाबवर्क के माध्यम से सेवाएं</p> <p>(क) समाचार पत्रों का मुद्रण</p> <p>(ख) टैक्सटाइल सूत (मानव निर्मित फाइबर से भिन्न) और टैक्सटाइल फैब्रिक</p> <p>(ग) कर्तित और पालिश किए हुए हीरक; मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान रत्न, या स्वर्ण और अन्य मूल्यवान धातुओं के सादे और जड़ाउ आभूषण जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आते हैं</p> <p>(घ) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण</p> <p>(ड) खाल, चर्म और चमड़ा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 41</p> | 2.5 | - |



|    |            |  |   |   |
|----|------------|--|---|---|
|    |            | <p>के अधीन आते हैं, का प्रसंस्करण</p> <p>स्पष्टीकरण- "मानव निर्मित फाइबर" से स्टेपल फाइबर और या तो विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित जैविक पालिमेरों के फिलामेंट अभिप्रेत हैं :</p> <p>(क) पालीएमाइड्स, पोलिएस्टर, पोलिओलेथिन्स या पोलिउरेथेन्स उत्पादित करने के लिए जैविक मोनोमेरों का पालिमेराइकरण या इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पालिमेरों का रासायनिक उपांतरण (उदाहरणार्थ पालीफिनायल एल्कोहल जो पोलिविनायल एसिटेट के हाइड्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है); या</p> <p>(ख) पालिमेरों का प्राकृतिक जैविक पालिमेरों को घोलने या रासायनिक उपचार द्वारा उत्पादन करने के लिए (उदाहरणार्थ सेलुलोस) जैसे कुपराममोनियम रेयान (कुपरो) या विस्कोस रेयान या प्राकृतिक जैविक पालिमेरों के रासायनिक उपांतरण द्वारा (उदाहरणार्थ सेलुलोस, केसीन और अन्य प्रोटीन या अलजीनिक अम्ल पैकेज सेलुलोस एसिटेट या अल्जीमेट्स पालिमेर का उत्पादन</p> |   |   |
|    |            | (iii) पूर्वाक्त (ii) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं  | 9 | - |
| 27 | शीर्ष 9989 | अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं  | 9 | - |
| 28 | खंड 9      | सामुदायिक, समाज एवं वैयक्तिक सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं  |   |   |
| 29 | शीर्ष 9991 | समय रूप में पूरे समुदाय के लिए प्रदान किया   | 9 | - |

|    |            |   |    |   |
|----|------------|---|----|---|
|    |            | जाने वाला लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं ; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाएं  |    |   |
| 30 | शीर्ष 9992 | शैक्षिक सेवाएं  | 9  | - |
| 31 | शीर्ष 9993 | मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख सेवाएं   | 9  | - |
| 32 | शीर्ष 9994 | मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरणीय संरक्षण सेवाएं   | 9  | - |
| 33 | शीर्ष 9995 | सदस्यता संगठनों की सेवाएं   | 9  | - |
| 34 | शीर्ष 9996 | (i) सर्कस, भारतीय सांस्कृतिक नृत्य जिसके अंतर्गत लोक नृत्य, थियेटर में प्रदर्शन, ड्रामा है, में प्रवेश या पहुंच के माध्यम से सेवाएं   | 9  | - |
|    |            | (ii) सिनेमा फिल्मों में प्रवेश प्रदर्शन के माध्यम से सेवाएं, जहां प्रवेश टिकट की कीमत एक सौ रुपए या कम है   | 9  | - |
|    |            | (iii) मनोरंजन आयोजनों में प्रवेश या मनोविनोद सुविधाओं तक पहुंच, जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों का प्रदर्शन, थीम, पार्क, वाटर पार्क या जाय-राइड, मैरी-गो राउंड, गो-कार्टिंग, कैसिनो, रेसकोर्स, बैले, कोई क्रीडा समारोह जैसे इंडियन प्रीमियर लीग और सदृश हैं, के माध्यम से सेवाएं | 14 | - |
|    |            | (iv) टोटेलिसेटर या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा किसी रेस क्लब में उपलब्ध कराई गई सेवाएं  | 14 | - |
|    |            | (v) जुआबाजी   | 14 | - |
|    |            | (vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीडा सेवाएं  | 9  | - |
| 35 | शीर्ष 9997 | अन्य सेवाएं (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएं, सौन्दर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं, जिसके   | 9  | - |

|    |            |   |   |   |
|----|------------|---|---|---|
|    |            | अंतर्गत ऐसी सेवाएं भी हैं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं)            |   |   |
| 36 | शीर्ष 9998 | घरेलू सेवाएं  | 9 | - |
| 37 | शीर्ष 9999 | एक्स्ट्राटेरिटोरियल संगठनों और निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं | 9 | - |

2. उपरोक्त सारणी की क्र.सं. 3 के सामने मद (i) में प्रविष्टि के स्तंभ (3) में चिनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में, जिसमें, यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर में संपत्ति का अंतरण अंतर्बलित है, सेवा की पूर्ति और ऐसी पूर्ति में माल के भाग का मूल्य या भूमि के अविभाजित शेयर के मूल्य से घटाकर ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम के समतुल्य होगा और भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर का मूल्य, यथास्थिति, ऐसी पूर्ति में ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम का एक-तिहाई समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए, "कुल रकम" से निम्नलिखित की कुल राशि अभिप्रेत है,—

(क) पूर्वाक्त सेवा के लिए प्रभारित प्रतिफल ; और

(ख) यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर के अंतरण के लिए प्रभारित रकम ।

3. लाटरी की पूर्ति का मूल्य, राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लाटरी की दशा में आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंकित मूल्य या कीमत का 100/112, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी की दशा में लाटरी का अंकित मूल्य या आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कीमत का 100/128, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा ।

4. स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए -

(i) माल में पूंजी माल भी सम्मिलित हैं ।

(ii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं ये आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की सूची में क्रमशः "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" का है ।

(iii) सीमाशुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के आधार पर स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वचन के लिए नियम जहां तक हो सके, शीर्ष 9988 के निर्वचन को लागू होंगे ।

(iv) इस अधिसूचना में जहां कहीं कोई दर इस शर्त के अध्याधीन कि सेवा की पूर्ति में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है, विहित की गई है, वहां उसका तात्पर्य यह होगा कि,—

(क) ऐसी सेवा की पूर्ति में अन्यथा रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और

(ख) ऐसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को भागतः प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसी सेवा की पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और मध्य प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) और तदधीन बनाए गए नियम के उपबंध लागू होते ।

(v) "सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर" से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या इमेज, जिसमें सोर्स कोड और आब्जेक्ट कोड मशीन में पठनीय रूप से अभिलिखित और परिवर्तन किए जाने में सक्षम या प्रयोगकर्ता के लिए अंतर-क्रियाकलाप प्रदान करने, कंप्यूटर या किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपकरण के माध्यम से प्रस्तुत करना सम्मिलित है, अभिप्रेत है ।

(vi) "कृषि विस्तार" से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुप्रयोग अभिप्रेत है।

(vii) "कृषि उत्पाद" से पौधों की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाए अथ पालन के, खाद्य के लिए, फायबर, ईंधन, कच्ची सामग्रियाँ या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत हैं, जिन पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा प्रसंस्करण प्रायः उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है, जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाता है।

(viii) "कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड" से कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है।

5. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.